



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun



25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001

दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8 बी/यू.सी.पी./06/34/2018/एफ.सी.

दिनांक: As per E-sign

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
 वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय: जनपद-अलमोड़ा में हरड़ा भिकीयासेड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.676 हे० वन भूमि का गेर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online no. FP/UK/ROAD/10518/2015)

सन्दर्भ: कार्यालय- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक 1734/12-1: देहरादून: दिनांक 27-12-2024 (received online on 10.03.2025).

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 09.09.2020 द्वारा राज्य सरकार से कुछ सूचनायें चाही गई थी जिसका प्रतिउत्तर संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित किया गया है। चूंकि प्रस्ताव वर्ष 2015 में बनाई गई थी तथा प्रस्ताव में अनुमोदन तददिनांक तक प्रदान नहीं की गई है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि प्रस्ताव को वर्तमान नियमों/उपनियमों के तहत संशोधित करते हुए एवं निम्नलिखित बिन्दुओं को प्रस्ताव में समाहित करते हुए संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें:-

1. A proper and complete KML file of the proposed road showing forest area and revenue area with different colours shall be uploaded at para C in Part-I of Parivesh portal.
2. As per uploaded KML file of road, it is observed that some part of road has been constructed. In this regard, the DFO shall inspect the area and submit detailed status of violation.
3. A parallel road is also visible in Google Earth. Therefore, the DFO shall also inspect the proposed diversion area and submit necessity of road.
4. A revised administrative approval as per current date shall be submitted.
5. FRA certificate in current scenario shall be submitted.
6. Revised tree enumeration list shall be submitted.

7. CA over NFL is required. Accordingly, CA scheme, KML file, Maps, suitability certificate, etc. shall be submitted.
8. Revised NPV rates will be applicable in the proposal. therefore, the NPV bill as per the revised rates shall be submitted.

उपरोक्त के क्रम में जवाब प्राप्ति के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीया,

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)

सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:- प्रमुख सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।